

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक-01/बजट-यो-44/2025-21972
प्रेषक,

पटना, दिनांक-09 फरवरी, 2026

अनिल कुमार झा, मा०प्र०से०
ईखायुक्त, बिहार, पटना।

सेवा में,

ईख पदाधिकारी,
समस्तीपुर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-2026 में चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत राज्य योजना अंतर्गत "बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम" के लिए मो० 18,75,000 (अठारह लाख पचहत्तर हजार) रुपये अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-33 रवी०/ई०का० दिनांक-17.04.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-2026 में चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत राज्य योजना अंतर्गत "बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम" के लिए कुल 1100.00 लाख (ग्यारह करोड़) रुपये मात्र की योजनाओं का कार्यान्वयन हेतु व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

विभागीय ज्ञापांक-02 बजट दिनांक-28.04.2025 के द्वारा ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर को गुड़ विकास कार्यक्रम (विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी) में मो० 24,09,000.00 (चौबीस लाख नौ हजार) रु० आवंटित किया गया था, जिसमें मो० 6,25,000 (छः लाख पच्चीस हजार) रुपये किसानों/इन्क्यूबेटर्स के लिए क्षेत्र भ्रमण और प्रशिक्षण हेतु राशि आवंटित किया गया।

ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक-41 दिनांक-05.02.2026 के द्वारा किसानों/इन्क्यूबेटर्स के प्रशिक्षण हेतु मो० 18,75,000 (अठारह लाख पचहत्तर हजार) रुपये अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक-41 दिनांक-05.02.2026 के आलोक में किसानों/इन्क्यूबेटर्स के लिए क्षेत्र भ्रमण और प्रशिक्षण हेतु मो० 18,75,000 (अठारह लाख पचहत्तर हजार) रुपये अतिरिक्त राशि आवंटित किया जाता है।

2. उक्त योजनान्तर्गत अतिरिक्त आवंटित कुल मो० 18,75,000 (अठारह लाख पचहत्तर हजार) रुपये मात्र वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजनान्तर्गत बजट प्रावधान के तहत निम्न शीर्ष से विकलनीय होगा:-


क्र० सं०	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	पूर्व में आवंटित राशि (रुपये में)	निकासी हेतु स्वीकृत राशि/विकलनीय राशि (रुपये में)
1.	मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08 उपभोक्ता उद्योग-लघु शीर्ष-201 चीनी मांग संख्या-45 उप शीर्ष-0104-गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड-45-2852082010104	33 01 सब्सिडी	512500.00	1537500.00
2.	मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप शीर्ष-08- उपभोक्ता उद्योग शीर्ष- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना मांग संख्या-45-उप शीर्ष-0102-गुड़ विकास विपत्र कोड संख्या-45-2852087890102	विषय शीर्ष- 33 01 सब्सिडी	106250.00	318750.00
3.	मुख्य शीर्ष 2851-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष -08-उपभोक्ता उद्योग-लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग संख्या-45- उप शीर्ष -0103- गुड़ विकास, कार्यक्रम विपत्र कोड संख्या-45-2852087960103	विषय शीर्ष- 33 01 सब्सिडी	6250.00	18750.00
	योग-		625000.00	1875000.00

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-235/वि० दिनांक-01.04.2025 के आलोक में आवंटित की जा रही है।

4. स्वीकृत्यादेश संख्या-33 स्वी०/ई०का० दिनांक-17.04.2025 में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय जिसकी पूर्ण जबाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। ईखायुक्त, बिहार इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5. उक्त योजना अन्तर्गत व्यय की गयी राशि से संबंधित व्यय प्रतिवेदन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा गन्ना उद्योग विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।


विश्वासभाजन


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-44/2025- 21 वज्र

पटना, दिनांक- 09 फरवरी, 2026

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-44/2025- 21 वज्र

पटना, दिनांक- 09 फरवरी, 2026

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/अवर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय/सहायक ईखायुक्त, उ० बिहार, मुजफ्फरपुर/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/रेगुलेटरी शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-44/2025- 21 वज्र

पटना, दिनांक- 09 फरवरी, 2026

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।